कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय, हनुमानगढ

क्रमांकः–लेखा/निलामी/2007 दिनांकः– 09-04-2021

अस्थाई काश्त हेतु निलामी सूचना संख्या 01 वर्ष 2021–22

(विस्तृत नोट विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस खण्ड द्वारा आमंत्रित निलामी सूचना संख्या 01 वर्ष 2021–22 के अनुसार अस्थाई काश्त हेतु कैनाल कॉलोनी पीलीबंगा में उपलब्ध 7 बीघा, करनीसर में उपलब्ध 4 बीघा, सरदारपुरा में उपलब्ध 6 बीघा, लोंगवाला में उपलब्ध 6 बीघा, हांसलिया में उपलब्ध 6 बीघा, टिब्बी में उपलब्ध 5 बीघा एवं गुडिया में उपलब्ध 5 बीघा की भूमि फसल खरीफ 2021 एवं रबी 2021–22 के लिए निलामी दिंनाक 16.04.2021 को खण्ड कार्यालय हनुमानगढ में की जावेगी। उक्त निलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता कार्यालय समय दोपहर 11.30 बजे बोलीदाताओं के समक्ष बोली की जावेगी। जिसका विवरण निम्नप्रकार हैः–

क्र. सं.	सिंचाई कॉलोनी	जल संसाधन उपखंड	भूमि निलामी काश्त अवधि	अनुमानित क्षेत्र	अनुमानित राशि	धरोहर राशि
1	पीलीबंगा	उपखण्ड पीलीबंगा	एक वर्ष	7 बीघा	80,000	5000/–
2	करनीसर	उपखण्ड पीलीबंगा	एक वर्ष	4 बीघा	50,000	5000/–
3	सरदारपुरा	उपखण्ड पीलीबंगा	एक वर्ष	6 बीघा	70,000	5000/–
4	लोंगवाला	उपखण्ड पीलीबंगा	एक वर्ष	6 बीघा	70,000	5000/–
5	हांसलिया	घग्घर उपखंड हनुमानगढ	एक वर्ष	6 बीघा	70,000	5000/–
6	टिब्बी	खारा उपखंड हनुमानगढ	एक वर्ष	5 बीघा	60,000	5000/–
7	गुडिया	खारा उपखंड हनुमानगढ	एक वर्ष	5 बीघा	60,000	5000/–

शर्ते :–

1. भूमि का मौका व विवरण किसी भी कार्य दिवस में जाकर देखा जा सकता है।
2. बोली स्वीकृत करने/निरस्त करने का अधिकार निलामी कमेटी/विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। बोली स्वीकृति के उपरान्त किसी का एतराज मान्य नहीं होगा।
3. दूरभाष/तार द्वारा बोली मान्य नहीं होगी ।
4. उच्चतम बोलीदाता को कुल बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि मौके पर ही जमा करवानी होगी तथाशेष राशि 75 प्रतिशत राशि स्वीकृति आदेश जारी होने के 7 दिवस में जमा करवानी होगी, अन्यथा जमा 25 प्रतिशत धरोहर राशि जब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। सफल बोलीदाता से निलामी के समय प्राप्त की गई धरोहर राशि उसी दिन प्राप्त की जाने वाली 25 प्रतिशत राशि में समायोजित की जायेगी एवं असफल बोलीदाता की धरोहर राशि बोली उपरान्त वापिस लौटा दी जावेगी।
5. उच्चतम बोलीदाता को स्वीकृत बोली की 10 प्रतिशत राशि सुरक्षित जमा के रूप में नकद/बैंक गारण्टी/डीडी/बैंकर चैक के रूप में जमा करवानी होगी। सुरक्षित जमा राशि अवधि पूर्ण होने पर नियमानुसार लौटा दी जायेगी।
6. बोलीदाता की लापरवाही के कारण भूमि काश्त के दौरान यदि राजकीय चल/अचल सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो नुकसान की भरपाई सुरक्षित जमा राशि में से की जा सकेगी।
7. भूमि का ठेका फसल खरीफ 2021 एवं रबी 2021–22 तक की अवधि तक के लिए मान्य होगा। दिनांक 15.04.2022 के बाद भूमि पर स्वतः ही कब्जा विभाग का माना जायेगा।
8. अस्थाई काश्त हेतु भूमि का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को रुपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो की पालना का परिवचन देना होगा।
9. सिंचाई हेतु पानी देने के लिए विभाग बाध्य नहीं होगा।
10. ठेका अवधि के दौरान संबंधित भूमि के कॉलोनी प्रभारी सहायक/कनिष्ठ अभियंता समय–समय पर पर्यवेक्षण कर सकेंगे। उनके द्वारा राजकीय हित में जारी निर्देशों की पालना बोलीदाता को करनी होगी।
11. **कैनाल कॉलोनी पीलीबंगा के चारों ओर तारबन्दी का ठेका अवधि के दौरान टूट–फूट क्षतिग्रस्त के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होगा एवं किसी भी प्रकार के नुकसान हेतु भुगतान बोलीदाता से नियमानुसार जमा करवाया जावेगा।**
12. **बोली में भाग लेने वाले बोलीदाता द्वारा धरोहर राशि एवं भूमि निलामी ठेका राशि के लिए नगद/डी.डी. ही मान्य होगा।**
13. **बोलीदाता द्वारा कोविड–19 की गाईडलाईन के अनुसार प्र्याप्त दूरी एवं मास्क लगाना आवश्यक है।**

अधिशाषी अभियंता,
जल संसाधन खंड द्वितीय,
हनुमानगढ
दिनांकः– 09-04-2021

क्रमांकः–लेखा/निलामी/2008-20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, हनुमानगढ ।
2. श्रीमान् मुख्य अभियंता, जल संसाधन उत्तर, हनुमानगढ ।
3. श्रीमान कोषाधिकारी हनुमानगढ।
4. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत, हनुमानगढ ।
5. तहसीलदार हनुमानगढ।
6. सहायक अभियंता, जल संसाधन घग्घर उपखंड, हनुमानगढ/जल संसाधन खारा उपखंड हनुमानगढ एवं जल संसाधन उपखंड पीलीबंगा ।
7. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत .... ।
8. बी.के. अध्यक्ष, बी.के... ।
9. तकनीकी शाखा/ रोकड लिपिक (कार्यालय हाजा) ।
10. नोटिस बोर्ड (कार्यालय हाजा) ।

अधिशाषी अभियंता

D:/NIT Folder/NIT 01 2020-21